

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:- एफ. 7(6) निपसिड/नई दिल्ली/प्रशि./आईसीडीएस/16/11328

जयपुर, दिनांक: 15-1-18

कार्यालय आदेश

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), नई दिल्ली द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2018 से 02 फरवरी, 2018 तक आयोजित MLTC/AWTC अनुदेशकों हेतु "आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों/मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों के अनुदेशकों के लिए ईसीसीई पर कुशलता पर क्रियान्वयन" कार्यक्रम हेतु निम्नलिखित MLTC/AWTC के अनुदेशकों को नामांकित कर उक्त प्रशिक्षण में भाग लेने के निर्देश प्रदान किये जाते हैं। नामांकित MLTC/AWTC के अनुदेशक दिनांक 29.01.2018 को प्रातः 9:00 बजे तक राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), क्षेत्रिय केन्द्र, बड़ा बांगडदा, गोमटगिरि, (एम.पी.एस.ई.बी. पावर हाउस के सामने) हातोद रोड, गांधी नगर, इन्दौर में आवश्यक रूप से उपस्थिति दें।

1. श्रीमती मोहिनी भटनागर, अनुदेशिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशि. केन्द्र, राजस्थान विद्यापीठ कुल, हटूण्डी अजमेर (प्रथम यूनिट)
2. श्रीमती वन्दना जैन, अनुदेशिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशि. केन्द्र, युवा भारत संस्थान, बीकानेर
3. श्रीमती पुष्पा माथुर, अनुदेशिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशि. केन्द्र, मीरा संस्थान, जोधपुर (प्रथम यूनिट)
4. श्रीमती अर्चना जादौन, अनुदेशिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, डे टू डे डवलपमेंट सोसायटी, अलवर
5. श्रीमती जागृति कल्ला, अनुदेशिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, मीरा संस्थान, पाली
6. श्रीमती संगीता वाष्णीय, अनुदेशिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, हितकारी महिला गढ़ पैलेस, कोटा
7. श्रीमती अनिता वर्मा, अनुदेशिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, बांगड विकास संस्थान, बाँसवाडा
8. श्रीमती रश्मि अग्रवाल, अनुदेशिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, आर्य विद्यापीठ, भुसावर (भरतपुर)
9. श्रीमती श्रुति पुरोहित, अनुदेशिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, मुस्कान संस्थान संस्थान, डूंगरपुर

प्रशिक्षणार्थियों को टी.ए./डी.ए. का भुगतान उनकी पात्रता अनुसार संस्थान के नियमानुसार किया जाएगा जोकि भारत सरकार के अनुरूप हैं। नियमानुसार रेल किराया/बस किराए (एसी/डीलक्स कोच) की प्रतिपूर्ति टीए बिल के साथ टिकट का प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद ही की जाएगी। हवाई यात्रा किराया : जो पात्र अधिकारी (5400/- रुपये या अधिकारी ग्रेड पे, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार) हवाई जहाज द्वारा यात्रा करना चाहते हैं वे सिर्फ एयर इंडिया(इकोनोमी क्लास) द्वारा ही यात्रा करें और हवाई यात्रा की टिकटें सीधे एयरलाइन्स से (बुकिंग काउन्टर/एयरलाइन्स की वेबसाइट) अथवा प्राधिकृत ट्रेवल एजेंटों जैसे मै. बालमेर लॉरी एंड कंपनी, मै. अशोक ट्रेवलस टूअर्स और आईआरसीटीसी से खरीदी जानी चाहिए। भारतीय रेलवे को दिया गया तत्काल शुल्क संस्थान द्वारा भुगतान नहीं किया जा सकेगा।



अयुक्त

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- एफ. 7(6) निपसिड/नई दिल्ली/प्रशि./आईसीडीएस/16/11329-47 जयपुर, दिनांक: 15-1-18

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. डॉ. के. सी. जार्ज संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षण) राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), 5, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली - 110016
2. संबंधित प्राचार्य, मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र.....
3. संबंधित प्राचार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र
4. A.C.P.(उप निदेशक), मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त को कम्प्यूटर पर अपलोड कर विभाग की वेबसाइट पर डालने का श्रम करें।


उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।